

थाना शमसाबाद

दि0-27.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. प्रदीप पुत्र रामऔतार रामऔतार किसान 2. राजपाल उर्फ राजू पुत्र डम्बर किसान निवासीगण रमापुर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 241/2002 वाद संख्या 290/2002 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्नर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 06-06 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री राजीव कुमार सिंह



को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार



पैरोकार हे0का0 प्रमोद कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फरुखाबाद

दि०-27.11.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गण 1. धर्मेन्द्र चौहान पुत्र झब्बू 2. उमा पत्नी धर्मेन्द्र चौहान निवासी गण वेल्हा थाना कम्पिल जपनद फतेहगढ़ 3. सच्चिदानन्द उर्फ मनोज पुत्र रामरतन निवासी नौगाई थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज मु०अ०स०- 887/2021 वाद संख्या 1007/2022 धारा 302/34,201 भा०द०वि० कोतवाली फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहम्मर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-तृतीय कोर्ट द्वारा दिनांक 27.11.2025 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 60-60 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री अनुज प्रताप सिंह



को० मो० हे०का० हरवेन्द्र सिंह



पैरोकार का० धर्मेन्द्र कुमार